tern. Following are the main features of the scheme:—

(i) Subsidy is given to all small industrial units, the maximum connected load of which does not exceed 20 H. P.;

(ii) Places where the existing tariff exceeds 9 paise per unit, the excess is met as subsidy provided the extent of such subsidy does not exceed 9 paise per unit;

(iii) No subsidy is allowed in State where the existing average rate is 9 paise per unit or less; and

(iv) Subsidy on power is shared by the Central and State Governments in equal proportions.

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

*338. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची की विभिन्न परियोजनाओं में कुछ वस्तुओं की उत्पादन लागत उन के बिक्री मूल्य से दुगुनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि वहां लाखों रुपये की कीमत के माल वर्षों से अप्रयुक्त पड़े हैं और इस निगम के प्रशासन में बहुत गड़बड़ी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि निगम की विभिन्न परियोजनाओं को वाणिज्यिक आधार पर चलाया जा सके ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) निर्मित की गई कई वस्तुओं और विशेषकर विशिष्ट तथा जटिल प्रकार की मशीनों तथा उपकरणों की उत्पादन लागत वर्तमान उत्पादन स्तर की अपेक्षा अधिक है। कुछ निर्माण कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं, औजार तथा पदार्थ जैसे विशिष्ट इस्पात इत्यादि कुछ समय से स्टोर में ही पड़े हैं । इन वस्तुओं को प्रयोग में लाने के प्रश्न पर निरन्तर समीक्षा की जाती है और ऐसी वस्तुओं को जिन का निकट भविष्य में कोई प्रयोग नहीं होता उन्हें फालतू घोषित कर दिया जाता है उन्हें जब भी कोई उपयुक्त मांग होती है बेच दिया जाता है । अधिक समन्वय, उत्कृष्ट उत्पादन और निगम की गतिविधियों को अधिक व्यावसायिक रूप देने के हेतु उच्च प्रबन्धकीय पदों को बढ़ाना तथा पुनर्गठित करना आवश्यक समझा गया है । इसी भूमिका में निगम के तीन संयंत्रों और विशेष कर एक और फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट और दूसरी ओर हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट तथा हैवी मशीन टूल्स में निकट सम्पर्क तथा समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वय निदेशक की नियुक्ति की गई है । सभी टर्न की प्रोजैक्ट्स जैसे बैलाडिला डिपाजिट नम्बर 5 और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा चलाई गई अन्य परियोजनाओं के समूचे प्रभार के लिए अतिरिक्त महाप्रबन्धक पद बनाया गया है । उत्पादन कार्यक्रम पर बड़ी निगरानी रखने तथा निर्मित वस्तुओं की प्रभावी तथा सामयिक सुपुर्दगी को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन प्रायोजन विभाग को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है । स्टाक की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया है और मुख्य परसानिल अधिकारी के पद को उच्चतर किया जा रहा है । ताकि निगम को स्टाफ की कठिन समस्याओं से निपटने के लिए उपयुक्त स्तर के वास्तव में अनुभवी तथा सुयोग्य अधिकारी प्राप्त हो सके । वित्तीय तथा व्यावसायिक अंग में वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखाधिकारी के

पद का भी उच्चस्तर कर निदेशक (वित्त) का पद बनाया गया है जो कि विभिन्न कर्मशालाओं में बनी वस्तुओं की लागत को सविस्तार आंकने और वित्तीय तथा वस्तु सूची सम्बन्धी नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी होगा। उत्पादन तथा व्यवसाय शाखाओं में निकट समन्वय स्थापित करने के लिए तथा वर्तमान क्रयादेशों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए एक मख्य व्यावसायिक प्रबन्धक का पद भी बनाया गया है। पुनर्गठन के इन पगों से और कर्मशालाओं, व्यवसाय तथा वित्त विभागों में उठाए गए पगों के फलस्वरूप भारी इंजीनियरी निगम में उत्पादन के कार्यक्रमों के बारे में और अधिक समन्वय होगा और भविष्य में व्यवसायिक दृष्टिकोण पर और अधिक महत्व दिया जायेगा यह प्रत्याशित है।

. Closure of N. G. and Uneconomic Railway Lines

*339. SHRI R. K. AMIN:
SHRI P. K. DEO:
SHRI P. N. SOLANKI:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that States are against the closure of narrow-gauge and uneconomic Railway lines;

(b) which States have agreed to close down uneconomic lines and to provide road transport;

(c) whether the promise made to the Government of Gujarat about not closing such lines without the prior approval of the State Government will be kept; and

(d) if not, the reasons therefore?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) We wrote to eight State Governments in connection with fourteen unremunerative branch lines. Seven State Governments expressed themselves against the proposed closure of the line in their respective States.

(b) The Madhya Pradesh Government requested that the Ministry of Railways should provide funds for necessary improvement in Gwalior-Shivpuri section of National Highway No. 3 so as to enable it to cope with the additional traffic that would come to it if the Gwalior-Shivpuri line were to be closed.

(c) No such promise was given to the Govt. of Gujarat. As explained in this House on a number of occasions, the State Governments concerned will be consulted and all aspects given careful consideration before final decisions are taken.

(d) In view of the answer to part (c), the question does not arise.

राजनैतिक दलों को दान पर रोक लगाने के लिये विधान बनाना

*340. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दान देने पर प्रतिबन्ध लगाने वाले विधेयक को पारित करने में क्या कठिनाइयां उत्पन्न हुई है ; और

(ख) इस विधेयक के कब तक पारित होने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1968, जिसमें दूसरी बातों के साथ-साथ कम्पनियों को राजनैतिक अंशदान देने से निषेध करना भी सम्मिलित है, अधन में,